4.7.26 पश्चात्वर्ती पेश हुई। इसप पक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर इसप पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रार्थना पत्र एकतरफा आदेश दिनांक 28.7.24 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण प्रा०पत्र स्वीकार कर पूर्व प्रा० पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे तथापि मैं प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्व पत्रा० दाखल मूल आदेश निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रा० प्रा० पत्र को नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते हैं। सम्बन्धित मूल पत्रा० प्रा० पत्र सं. 30/2024 को पुनः दर्ज कर सुनवाई हेतु रखा जावे। पत्रा० बाद तक मील तरीके दरियाफ्त इख्तयार हो।

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर